प्रेस को सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 12/2023)

तत्काल प्रकाशन के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भादूविप्रा ने टीसीसीसीपीआर-2018 के तहत हेडर और मैसेज टेम्प्लेट के दुरुपयोग को रोकने और दूरसंचार संसाधनों का उपयोग करके अनधिकृत प्रचार को रोकने के लिए एक्सेस प्रदाताओं को निर्देश जारी किए।

नई दिल्ली, 16 फरवरी 2023- यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी प्रचार मैसेज पंजीकृत टेलीमार्केटर्स (आरटीएम) के माध्यम से डिस्ट्रिब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजीज (डीएलटी) प्लेटफॉर्म पर स्वीकृत हेडर और मैसेज टेम्पलेट का उपयोग करके भेजे जाते हैं, और हेडर और मैसेज टेम्पलेट के दुरुपयोग को रोकने के लिए, भादूविप्रा ने दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान विनियम, 2018 (टीसीसीसीपीआर-2018) के तहत एक्सेस सेवा प्रदाताओं के लिए दो अलग-अलग दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

2. **भादूविप्रा ने देखा है कि प्रधान इकाइयों (पीई) के हेडर और मैसेज टेम्पलेट का कुछ टेलीमार्केटर्स द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है। इसे रोकने के लिए, एक्सेस सेवा प्रदाताओं को निर्देशित किया गया है कि:**

(क) **डीएलटी प्लेटफॉर्म पर सभी पंजीकृत हेडर और मैसेज टेम्प्लेट को फिर से सत्यापित करें और सभी असत्यापित हेडर और मैसेज टेम्प्लेट को क्रमशः** 30 **और** 60 **दिनों के भीतर ब्लॉक कर दें।**

(ख) **सुनिश्चित करें कि अल्पकालिक हेडर उस समय अवधि के तुरंत बाद निष्क्रिय कर दिए जाते हैं जिसके लिए ऐसे हेडर बनाए गए थे।**

(ग) **सुनिश्चित करें कि मैसेज टेम्प्लेट में कंटेंट के परिवर्तनिय भाग में अवांछित सामग्री डालने की लचक (फ्लेक्सिबिलिटी) नहीं है। यदि आवश्यक हो तो संदेश प्रसारण में शामिल संस्थाओं को स्पष्ट रूप से पहचाना और ट्रैक किया जाना चाहिए।**

(घ) मैसेज के प्राप्तकर्ताओं के बीच भ्रम को दूर करें और उनके दुरुपयोग को रोकें| एक्सेस प्रदाताओं द्वारा विभिन्न प्रधान इकाइयों के नाम पर कोई समान दिखने वाले हेडर (शीर्षक जो छोटे केस या बड़े केस अक्षरों के संयोजन के आधार पर समान हैं) को पंजीकृत नहीं किया जाना चाहिए।

3. टेलीफोन नंबरों का उपयोग करने वाले टेलीमार्केटर्स सहित अनधिकृत या अपंजीकृत टेलीमार्केटर्स के मैसेज पर अंकुश लगाने के लिए एक्सेस प्रदाताओं को निर्देशित किया गया है कि-

- सभी टेलीमार्केटर्स, जो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजीज (डीएलटी) प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत नहीं हैं, को मैसेज टेम्प्लेट स्क्रबिंग और एक्सेस प्रोवाइडर्स नेटवर्क के माध्यम से प्राप्तकर्ताओं को मैसेज भेजने से रोकना सुनिश्चित करें ;
- सुनिश्चित करें कि प्रचार मैसेज अपंजीकृत टेलीमार्केटर्स या टेलीमार्केटर्स द्वारा टेलीफोन नंबरों (10 अंकों की संख्या) का उपयोग करके प्रसारित नहीं किया जाता है;
- नियमों के प्रावधानों के अनुसार ऐसे सभी दोषी टेलीमार्केटर्स के खिलाफ कार्यवाही करें और संबंधित विधिक कानूनों के अनुसार भी कार्यवाही शुरू करें। एक्सेस सेवा प्रदाता ऐसे टेलीमार्केटर्स के विवरण अन्य एक्सेस प्रदाताओं को भी सूचित करेगा, जो इन संस्थाओं को अपने नेटवर्क के माध्यम से किसी भी प्रकार के वाणिज्यिक संचार भेजने से रोकेंगे;

4. सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को तीस दिनों के भीतर उपरोक्त निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया गया है।

5. किसी भी स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए श्री जयपाल सिंह तोमर, सलाहकार (क्यूओएस) भादूविप्रा से दूरभाष नंबर 011-23230404 पर संपर्क किया जा सकता है।

ह०/-
(वी. रघुनंदन)
सचिव, भादूविप्रा